उत्तर प्रदेश शासन
लघु उद्योग अनुभाग–4
संख्या–1439(1)/18–4–10–1(आडिट)/10
लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2010

अनु सचिव,
समिति(वित्त) अनुभाग–1,
विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियॉ) में उल्लिखित प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी उपलब्ध कराने विषयक वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–वि0आ0प्र0(सि0/रे0)/ 110/दस–10(176)/2007, दिनांक 16.02.2010 के संबंध में उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 लखनऊ से संबंधित लेखा परीक्षा परिणाम विषयक प्रस्तर संख्या–5.1 जो प्रस्तर संख्या–1.10 का ही अंश है, पर व्याख्यात्मक टिप्पणी अपेक्षित प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : यथोक्त।

(राम किशोर)
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू),उ0प्र0 शासन।
2– महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा),उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–4/लघु उद्योग अनुभाग–3
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0,

2–राणाप्रताप मार्ग, मोतीमहल,लखनऊ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियों) में उल्लिखित प्रस्तर 5.1 जो प्रस्तर संख्या 1.10 का भाग है, पर व्याख्यात्मक टिप्पणी।

प्रतिवेदन संख्या–DR–07/08–09 भाग – 2 (क)

प्रस्तर–1 :– देय ब्याज का भुगतान न करने से राजस्व हानि रू0 11,38,035.00 :–

शासन द्वारा निगमों एवं प्राधिकरणों को उनके कार्य संचालन हेतु समय–समय पर ऋण प्रदान किया जाता है, जिसका पुनर्भुगतान तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान ऋण की शर्तो के अनुरूप निगमों एवं प्राधिकरणों द्वारा निश्चित समय पर किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 निर्यात निगम लि0, लखनऊ के कार्यालय की लेखा परीक्षा में देखा गया कि उ0प्र0 शासन द्वारा निगम को निम्नलिखित विवरणानुसार ऋण प्रदान किया गया था।

कम सं0	ऋण स्वीकृति की तिथि तथा सम्बन्धित शासनादेश का संदर्भ	स्वीकृत ऋण की धनराशि (रू0)	अवशेष ऋण (रू)	वार्षिक ब्याज की दर
1.	1714/18–13–51ई, दिनांक 11.12.75	81,600/–	40,785/–	6%
2.	3079/16–निर्यात 3(4) दि0 30.9.89	21,00,000/–	21,00,000/–	9.5%

उपरोक्त ऋण पर दिनांक 31.3.03 तक के ब्याज की गणना करके उसे निगम के वर्ष 2002–03 की बैलेन्स शीट में सम्मिलित कर दिया गया था। किन्तु ऋण के अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.4.03 से न तो ब्याज की गणना की गयी और न ही ब्याज का भुगतान किया गया । इस प्रकार रू.40,785.00 पर 6% ब्याज की दर से

भाग–2 (क)

प्रस्तर –1 :– ब्याख्यात्मक टिप्पणी

प्रस्तर में निगम को शासन द्वारा उल्लेखित विवरणानुसार प्रदान किये गये ऋणों की पुष्टि की जाती है जोकि निगम को वित्तीय वर्ष 1989–90 से पूर्व प्राप्त हुये थें। निगम स्तर से कम्पनीज़ ऐक्ट 1956 के नियमों के अनुसार अवशेष ऋण धनराशि पर निर्धारित ब्याज की गणना कर प्रतिवर्ष लाभ हानि खातें में व्यय सम्मिलित कर बैलेन्सशीट में शासन को ब्याज मद में देय राशि का प्राविधान में किया जाता है।

निगम स्तर से अप्रैल '03 से सितम्बर '08 की अवधि के सापेक्ष निम्नानुसार अपने लेखों में अवशेष ऋण राशि पर ब्याज की गणना कर सम्मिलित कर लिया गया है।

अप्रैल'03 से मार्च'04 तक	रू. 2,01,947.10
अप्रैल '04 से मार्च '05 तक	रू.2,01,947.10
अप्रैल '05 से मार्च '06 तक	रू.2,01,947.10
अप्रैल '06 से मार्च '07 तक	रू.2,01,947.10
अप्रैल '07 से मार्च '08 तक	रू.2,01,947.10
अप्रैल '08 से सित.'08 तक	रू.1,00,973.55
योग	रू.11,10,709.05

उक्तानुसार अप्रैल 09 से मार्च 10 तक अवशेष ऋण राशि पर रू. 21,40,785/– पर निर्धारित ब्याज दर से गणना कर लेखों में सम्मिलित कर

अप्रैल '03 से सितम्बर' 08 तक ब्याज रू.13,459.00 तथा रू.21,00,000/–पर अप्रैल '03 से अप्रैल '08 तक 9.5 % की दर से ब्याज रू.10.97,250.00 लेखा परीक्षा की तिथि तक देय थी, जिसका भुगतान निगम द्वारा नहीं किये जाने से शासन को कुल रू0 11,38,035.00 का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका। लेखा परीक्षा में इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2002–.03 तक निगम की कुल संचित हानि रू.2,192.70 लाख है। इस तिथि में शासन को ब्याज का भुगतान का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः राजस्व क्षति का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।	लिया जायेगा। निगम में धनाभाव है तथा वर्तमान में 2009–10के अन्त तक निगम की कुल संचित हानि रू.2287.90 लाख होने का अनुमान है जिसके कारण ऋण पर ब्याज की धनराशि का भुगतान शासन को निगम स्तर से किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है।

SE(A)

प्रतिवेदन संख्या–DR–07/08–09 भाग–दो (ख)

प्रस्तर–1 :– शासन द्वारा प्रदत्त ऋण का पुनर्भुगतान एवं उस पर देय ब्याज का भुगतान न किया जाना रू.302 लाख

शासन द्वारा निगमों एवं प्राधिकरणों को उनके कार्य संचालन हेतु समय–समय पर ऋण प्रदान किया जाता है, जिसका पुनर्भुगतान तथा उस पर देय ब्याज भुगतान ऋण के शर्तो के अनुरूप निगमों एवं प्राधिकरणों द्वारा निश्चित समय पर किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 लखनऊ के कार्यालय की लेखा परीक्षा में देखा गया कि दि0 मार्च, 2003 तक रू.7,43,67,785.00 का शासकीय ऋण निगम के विरूद्ध भुगतान हेतु देय था तथा उक्त ऋण की धनराशि पर मार्च 2003 तक देय ब्याज रू. 3,02,88,562.45भी भुगतान हेतु अवशेष था।
उक्त धनराशियों का भुगतान लेखा परीक्षा की तिथि तक शासन को नहीं किया गया था, जिससे शासन को रू.3,02,88,562.45 लाख का राजस्व प्राप्त नहीं हो सका।

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया गया कि निगम की कुल संचित हानि रू.2,192.70 लाख है, जिससे देय ब्याज का भुगतान सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः राजस्व हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो (ख)

प्रस्तर–1:– ब्याख्यात्मक टिप्पणी

निगम को मार्च 2003 तक शासन से प्राप्त ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं0	ऋण स्वीकृति की तिथि एवं संबंधित शासनादेश का संदर्भ	अवशेष ऋण
1-	1714/18–13–51ई, दि. 11.12.75	40,785.00
2-	3079/16–निर्यात–3(4)30.9.89	21,00,000.00
3-	869/18–4–2001–91(निर्यात) 96,दि. 27.3.01	3,45,00,000.00
4-	244/(1½/18–4–99–91(निर्यात) 96,दि.13.3.99	1,76,00,000.00
5-	1612/18–4–2001–91(निर्यात)/96,दि. 10.8.01	2,01,27,000.00
		7,43,67,785.00

उक्त ऋणों में क्रमांक–1 पर अंकित रू.40,785./– का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा क्रमांक–2 पर अंकित रू. 21,00,000/–का ऋण 9.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर निगम को उपलब्ध हुआ था, जबकि क्रमांक 3,4 व 5 पर ऋण बिना ब्याज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

निगम स्तर से वर्ष 2002 में ब्याज पर उपलब्ध हुये अधिकांश ऋणों का मूलधन रू.1,30,47,000/– शासन को वापस कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि में बैंक में जमा की गयी राशि का प्रमाणक संलग्न है।

उक्तानुसार निगम के सम्प्रेक्षित लेखों में मार्च 2003 तक देय ब्याज

राशि रू.3,02,88,562.45 दर्शित है, जिसमें निगम द्वारा वापस किये गये मूल ऋण राशियों पर वर्ष 2002 से पूर्व की देय ब्याज राशि भी सम्मिलित है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2009–10 असम्प्रेक्षित लेखों के अनुसार कुल संचित ब्याज की धनराशि रू.3,17,02,192.15 जो शासन को देय होगी की वर्षवार गणना निम्नानुसार है।

वित्तीय वर्ष 2002–03 के माह मार्च '03 तक कुल देय ब्याज राशि	रू.30288562.45
वित्तीय वर्ष 2003–04 के माह मार्च '03 तक कुल देय ब्याज राशि	रू.3,04,90,509.55
वित्तीय वर्ष 2004–05 के माह मार्च '03 तक कुल देय ब्याज राशि	रू. 3,06,92,456.65
वित्तीय वर्ष 2005–06 के माह मार्च '03 तक कुल देय ब्याज राशि	रू. 3,08,94,403.75
वित्तीय वर्ष 2006–07 के माह मार्च '03 तक कुल देय ब्याज राशि	रू. 3,10,96,350.85
वित्तीय वर्ष 2007–08 के माह मार्च '03 तक कुल देय ब्याज राशि	रू. 3,12,98,297.95
वित्तीय वर्ष 2008–09 के माह मार्च '03 तक कुल देय ब्याज राशि	रू. 3,15,00,245.05
वित्तीय वर्ष 2009–10 के माह मार्च '03 तक कुल देय ब्याज राशि	रू. 3,17,02,192.15

निगम की कुल संचित हानि वित्तीय वर्ष 2009–10 के माह मार्च '10 तक रू.2287.90 लाख होना सम्भावित है तथा अत्यन्त धनाभाव की स्थिति है, जिसके कारण ब्याज मद में उक्त धनराशि का भुगतान शासन को निगम स्तर से किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(17)

THE U.P.EXPORT CORPORATION LTD
2,RANA PRATAP MARG,MOTI MAHAL, LUCKNOW

No.Fin/S/6[illegible]/[illegible] Date:04.6.2

The Manager
State Bank of India,
Govt.Business Branch
Lucknow

Dear Sir,

Please find enclosed herewith Cheque No.026598 dated:04.06.2002 for Rs.10181000.00 (Rupees One crore one lac eighty one thousand only) drawn on Union Bank of India,Clark Avadh, Lucknow issued in your favour alongwith deposit chalan in triplicate towards repayment of following loans sanctioned by Govt.of U.P.as per detail given below:

Sl No..	G.O.No. & Date	Amount (Rs)
1.	1098/18-13(24)/E/74 25.03.1975	13000.00
2.	9487/18-2-6-683/77 25.3.75 & 29.9.78	594000.00
3.	1722/19.2.1(26)/79 30.3.80	600000.00
4.	1944/18.2.1(24)/79 31.3.80	540000.00
5.	518/18-EXPORT(5)/280 31.3.80	756000.00
6.	7020/18(EXPORT)/81 2.2.81	450000.00
7.	1233/18-EXPORT-1(24) 31.3.84	2000000.00
8.	1032/18-EXPORT(24)/82 22.3.86	245000.00
9.	5142/18-EXPORT-1(14)/82 30.12.85	235000.00
10.	5908/18-EXPORT(4)/82 22.3.87	498000.00
11.	1060/18-EXPORT(4) 14.3.80	4250000.00
	Total Rs.--->	10181000.00

You are requested to deposit the same in respective head accounts.

Thanking you,

Yours faithfully,

Tulsi Gaur
(Tulsi Gaur)
Managing Director

Encl:As above

5 JUN 2002
STATE BANK OF INDIA
Govt. Business Branch, Lucknow
DAK RECEIVED

FORM NO.43-A, F.H.B. VOL.V PART-II

ORIGINAL/DUPLICATE

(See Paragraphs 417 & 418)

Challan No._____ Treasury/Sub-Treasury_____

Challan of cash paid into the State/Reserve Bank of India at _____

to be filled in by the remitter.

To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury.

By whom tendered	Name (or designation) & address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of the authority, if any.	Amount	Head of Account	Order of the Bank
उ0प्र0 निगमित निगम लि0, राणा प्रताप मार्ग, मोतीमहल, लखनऊ।	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 निगमित निगम लि0, 2 राणा प्रताप मार्ग, मोतीमहल, लखनऊ।	शासनादेश संख्या-1092/10-निगमित-(क)/ 98 दिनांक 30.3.99 द्वारा 30% विनिवेश विभाग द्वा0 को 2 स्था0 सदृश को वित्तीय वर्ष 1999-00 में स्वीकृत मूल्यन के मूलधन के सापेक्ष अवशेष मूलधन रु0 28.66 लाख की धनराशि से संबन्धित/सहित-राशि-अंश के गृहधन (Principal) के सापेक्ष जमा की जा रही है इसे किसी प्रतिदाय में आय के सापेक्ष समायोजित न किया जाये। इस गृहधन की अदायगी के उपरान्त यह ऋण पूर्णतया चुकता हो जाता है।	28,66,000/-	अन्य उद्योगों के लिए ऋण 1-00 अन्य ऋण-190-00 सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण 1-00 उ0प्र0 वित्त निगम को ऋण 1-00	30% विनिवेश के लिए ऋण

Yuki Gaur.
YUKI GAUR
Managing Director,
U.P. Export Corporation Ltd.,
Moti Mahal,
LUCKNOW.

कुल योग रु0 28,66,000/-

(In words) Rupees अट्ठाईस लाख छेंसठ हजार मात्र।

Posted vide Cheque No. 029596 dated 20-08-2002 for Rs. 28,66,000/- only drawn on Union Bank of India, Vidhan Sabha Marg, Lucknow.

Received payment (in words) Rupees _____

To be paid only on the case of remittance to Bank through an Officer of the Government

अन्तरण द्वारा प्राप्त किया
RECEIVED BY TRANSFER
M I C R
2 2 AUG 2002
भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
Govt. Business Branch, Lucknow.

Treasury Officer

Agent

Treasury

प्रतिवेदन संख्या–DR–07/08–09 भाग – दो (ख)

प्रस्तर–2 ब्यापार कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड न लगाने से राजस्व क्षति रू. 12,935.00

उ0प्र0 ब्यापार कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार देय ब्यापार कर की धनराशि आगामी माह की 20 तारीख तक कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिये। यदि कर समय से जमा नहीं कराया जाता है तो कर की धनराशि पर देय तिथि से 2% प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड आरोपणीय है।

प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0.निर्यात निगम लि0 लखनऊ के कार्यालय के अभिलेखों की जॉच में देखा गया कि निगम द्वारा ब्यापार कर की निम्नलिखित राशियॉ विलम्ब से कोषागार में जमा करायी गयी, परन्तु उन पर नियमानुसार अर्थदण्ड नहीं लगाया गया। विवरण निम्नवत् है:–

देय माह	कर की धन– राशि रू0	कोषागार में जमा करने की तिथि	देय अर्थ– दण्ड
8/06	172761.00	5.10.06	6,910.00
12/06	301252.00	31.1.07	6,025.00
योग			12,935.00

ब्यापार कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड के अनारोपण से शासन को रू.12,935.00 की राजस्व क्षति हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया गया कि कर निर्धारण के दौरान विलम्ब से विवरणी दाखिल एवं ब्याज की माफी हेतु अपील दायर की जायेगी। यदि छूट नहीं मिलती है तो दोषियों से वसूली कर कोषागार में जमा किया जायेगा।

अतः राजस्व क्षति का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग – दो (ख)

प्रस्तर –2 :– ब्याख्यात्मक टिप्पणी

निगम स्तर से उ0प्र0 ब्यापार कर अधि– नियमों के प्राविधानों के अनुसार देय ब्यापार कर की धनराशि प्रत्येक माह कोषागार में जमा करायी जाती है। माह अगस्त '06 की ब्यापार कर से सम्बन्धित सूचना निगम के मुख्यालय की प्रशाखाओं से माह सितम्बर '06 में प्राप्त होने के कारण ब्यापार कर की धनराशि माह अक्टूबर की 5 तारीख को जमा करायी जा सकी।

उक्त के कम में माह दिसम्बर'06 की ब्यापार कर विवरणी निगम स्तर से समय से दाखिल की गयी है, माह जनवरी '07 में जमा धन राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है क्योंकि माह के अन्तिम दिवस तक टैक्स जमा किया जाना अनुमन्य है।

निगम के वर्ष 2006–07 के ब्यापार कर का निर्धारण पूर्ण हो चुका है, जिसमें दण्ड स्वरूप कोई ब्याज का आरोपण नहीं हुआ है।

उक्तानुसार शासन के राजस्व में ब्यापार कर जमा करने में ब्याज राशि रू. 12,935.00 की क्षति निगम स्तर से नहीं पहुचायी गयी है तथापि भविष्य में ब्यापार कर विभाग द्वारा यदि ब्याज की मॉग की जाती है, तो उस समय तद्नुसार शासन को अवगत करा दिया जायेगा।

वित्त नियंत्रक　　प्रबन्ध निदेशक　　प्रमुख सचिव